

जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा

निर्देश

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में जननी सुरक्षा योजना सितम्बर 2005 से चल रही है।
2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण का पंजीयन, प्रसवपूर्व उचित देखरेख व अस्पतालों में प्रसवों को बढ़ावा देकर जच्चा व बच्चा की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
3. इस योजना के अन्तर्गत महिला को गर्भवती होते ही अपना पंजीकरण गांव/शहर की चयनित आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी केन्द्र, निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर करवा कर जच्चा बच्चा व जननी सुरक्षा योजना कार्ड प्राप्त कर लेना चाहिए।
4. गर्भवती महिला को गर्भावस्था में कम से कम तीन बार चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) से प्रसव पूर्व जाँच करवा लेनी चाहिए। इसी दौरान प्रसव हेतु अस्पताल व परिवहन सेवा का भी चिन्हिकरण कर लेना चाहिए।
5. घनुषबाय खतरनाक रोग है जो माता एवं बच्चे दोनों के लिए प्राणघातक हो सकता है। अतः पंजीकरण के समय एवं एक माह बाद टिटेनस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए।
6. चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा बताये अनुसार आयरन फोलेट की एक गोली नियमित रूप से भोजन पश्चात 100 दिन तक खानी चाहिए।
7. योजना के वर्तमान स्वरूप में संस्थागत प्रसव कराने वाली हर वर्ग की गर्भवती महिला को निःशुल्क सहायता प्रदान की जा रही है। उम्र एवं बच्चों की संख्या की तमाम बन्धियों को हटा दिया गया है।
8. प्रसूता के आगमन/पंजीकरण के पश्चात् अस्पतालों एवं सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर तत्काल नगद भुगतान की व्यवस्था राज्य में कर दी गई है ताकि भुगतान के लिए लाभान्वितों को दुबारा नहीं आना पड़े। भुगतान, प्रसव तिथि से 7 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से करना होगा अन्यथा भुगतान अवैध माना जावेगा। उप स्वास्थ्य केन्द्र पर अण्टाइड फण्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल में मेडिकल रिलीफ सोसायटी के खातों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है जिसका पुनर्भरण जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जावेगा। जसुयो रजिस्टर में भुगतान का इन्द्राज कर, जच्चा - बच्चा कार्ड एवं जसुयो कार्ड पर राशि अंकित कर लिखना होगा - प्रसव पश्चात (₹.1400/1000) भुगतान कर दिया गया है।

9. ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का सरकारी संस्थान में प्रसव सहायता पैकेज:

माता हेतु सहायता पैकेज	* आशा-सहयोगिनी हेतु पैकेज (रैफरल परिवहन + प्रोत्साहन राशि)	योग
सभी वर्गों की प्रसूताएँ	1400 रुपये	2000 रुपये
	600रूपये (400+200) रूपये	

नोट: 1. अस्पतालों के जनरल वार्ड में भर्ती प्रसूता माताओं को ही वित्तीय सहायता देय होगी।

2. आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि 2 किशतों में देय होगी।

* जिन क्षेत्रों में आशा का चयन नहीं हुआ है वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/जनमंगल जोड़े को उपरोक्त लाभ देय होगा।

10. शहरी क्षेत्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का सरकारी संस्थान में प्रसव सहायता पैकेज:

माता हेतु सहायता पैकेज	* आशा-सहयोगिनी हेतु पैकेज (प्रोत्साहन राशि)	योग
सभी वर्गों की प्रसूताएँ	1000 रुपये	1200 रुपये
	200रूपये	

नोट: 1. आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि 2 किशतों में देय होगी। दोनों ही किशतें उसी प्रसव संस्थान पर देय होगी जहां आशा ने प्रसूता का पंजीकरण, प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर जांचे करायीं।

सभी वर्गों की प्रसूता महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर रू. 1000/- देय होगा। शहरी क्षेत्र की निवासीनी प्रसूता अथवा आशा को शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रैफरल परिवहन सुविधा देय नहीं होगी। प्रसूता के सन्दर्भ में आशा को प्रोत्साहन हेतु रू 200/- देय होंगे।

* जिन क्षेत्रों में आशा का चयन नहीं हुआ है वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपरोक्त लाभ देय होगा।

11. समस्त सरकारी संस्थानों में होने वाले प्रसव सहायता पैकेज:

1. सभी वर्गों की प्रसूताओं को प्रसव पश्चात भुगतान। विशेष परिस्थितियों में भुगतान की अन्तिम समय सीमा 7 दिवस रहेगी।

2. प्रसूता के ग्रामीण क्षेत्र की निवासीनी होने पर रू.1400/- एवं शहरी होने पर रू. 1000/- प्रसव हेतु दिये जायेंगे। प्रसूता के अपने मूल निवास क्षेत्र के अलावा अन्यत्र संस्थान (ग्रामीण/शहरी) पर प्रसव कराने की स्थिति में उसे अपने क्षेत्र की प्रसाविका से रेफरल पर्ची लानी होगी। रेफरल पर्ची के साथ जच्चा-बच्चा एवं जसुयो कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा।
3. रेफरल परिवहन सुविधा सभी ग्रामीण कार्डधारी प्रसूताओं को देय होगी। यहां कार्ड से अभिप्राय जच्चा बच्चा- जननी सुरक्षा योजना कार्ड से है जिसे आवश्यक रूप से संस्था पर दिखाना होगा। आशा सहयोगिनी इसका प्रबन्ध अग्रिम तौर पर प्रसव पूर्व करेगी जिसके लिये योजना में 600/- रू. का प्रावधान रखा गया है। यदि प्रसूता, आशा के बिना संस्थान पर चली जाती है तो भी उसे रू. 300/- का लाभ प्रसव संस्थान पर देय होगा।
4. प्रसव के बाद किसी भी वर्ग की महिला अथवा उसका पति अगर नसबन्दी करवा लेते हैं तो तत्काल प्रोत्साहन राशि यानि रु 450/500 भी तत्काल देय होगी।

12. घरेलू प्रसव हेतु सहायता पैकेज:

- घरेलू प्रसव का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रू. 500/- देय होगा। केवल बी.पी.एल. कार्डधारी प्रसूताएँ ही इसका लाभ उठा सकेंगी। प्रसूता को वित्तीय लाभ देने से पूर्व प्रसाविका तीन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर तस्दीक करेगी-
 - (1) उम्र 19 वर्ष या अधिक होवें
 - (2) बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
 - (3) मृत शिशु के उत्पन्न होने पर भी सहायता देय होगी किन्तु केवल दो जीवित जन्मों तक ही लाभ देय होगा।

13. प्रसूता के मूल निवास से अन्यत्र प्रसव कराने सम्बन्धी अर्हताएँ:

अन्यत्र स्थान : पिहर (पिता का घर)/अन्य जिला, तहसील इत्यादि/अन्य राज्यों से रेफर्ड प्रसूतायें

प्रसव का स्थान सरकारी/निजी संस्थान में अथवा घरेलू होने पर आवश्यक रूप से प्रसूता को अपने क्षेत्र की प्रसाविका से रेफरल पर्ची के साथ जच्चा बच्चा कार्ड एवं जसुयो कार्ड लाना होगा। इसके अभाव में उसको भुगतान नहीं किया जावेगा।

14 आशा सहयोगिनी का सहायता पैकेज:-

1. आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि 2 किशतों में देय होगी। प्रथम किशत रु 500/- की जिसमें 400 रफरल परिवहन एवं रु 100/- उसकी प्रोत्साहन राशि होगी जिसका भुगतान सरकारी संस्थान पर तत्समय किया जावेगा। इसका इन्द्राज संस्थान के जसुयो रजिस्टर में किया जावेगा।
2. दूसरी किशत रु. 100/- की होगी जो 2 प्रसवोत्तर जाँच व शिशु के बी.सी. जी. टीकाकरण के पश्चात देय होगी। इस भुगतान का इन्द्राज प्रसाविका अपनी पंजिका में करेगी।
3. आशा अपनी दैनिक डायरी में प्रसूता को दी गई सेवाएँ एवं प्राप्त की गई राशि को इन्द्राज करेगी।
4. किसी भी कारणवश यदि आशा प्रसूता के साथ संस्था पर प्रसव कराने हेतु नहीं जा पाती है तो भी रु. 200/- दो किशतों में देय होंगे। प्रथम किशत रु. 100/- प्रसव पूर्व जाँचों के लिए एवं द्वितीय किशत रु. 100/- प्रसवोत्तर जाँचों एवं शिशु के बी.सी.जी टीकाकरण के पश्चात अपने क्षेत्र की प्रसाविका द्वारा देय होगी जिसका इन्द्राज वह अपनी पंजिका में करेगी।

15. सिजेरियन छेदन/जटिल प्रसव हेतु विशेषज्ञ सेवाएँ :

1. जिन सरकारी संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है वे संस्थान निजी चिकित्सालयों / विशेषज्ञों से विशेषज्ञ सेवायें प्राप्त करने हेतु रु 1500/- तक का भुगतान कर सकते है इन सेवाओं में शल्य चिकित्सक/स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतन विशेषज्ञ की सेवायें शामिल है। यह लाभ जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही निजी संस्थानों/विशेषज्ञों को देय होगा।
2. सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से सरकारी विशेषज्ञों द्वारा सेवायें लिये जाने पर उन्हें रु. 500/- दिये जाने का प्रावधान है। यह राशि विशेषज्ञों को अपने पदस्थापन स्थान पर सेवायें देने हेतु नहीं दी जावेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे विशेषज्ञों की सूची तैयार करेंगे।

- 16 संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने क्षेत्र में जसुयो के तहत सूचीबद्ध विशेषज्ञों एवं मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की सूची तैयार करवायेंगे। जिलों में उपलब्ध निजी चिकित्सालयों में केवल उपखण्ड एवं ब्लाक स्तर पर ही मान्यता दी जानी है जिला स्तर पर किसी निजी चिकित्सालय को जसुयो के तहत मान्यता नहीं दी जानी है सभी उपस्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह सूची लगवाना सुनिश्चित करायेंगे ताकि हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (प्रसाविका/ऑगनबाडी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी) एवं प्रसूता को प्रसव पूर्व यह जानकारी उपलब्ध रहे।
- 17 समस्त जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों जो एन.आर.एच.एम के अधीन हैं, के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर एक लोकपाल की व्यवस्था का प्रावधान है यही तंत्र जसुयो पहल का भी ध्यान रखेगा। जिला स्वास्थ्य मिशन इस प्रयोजन हेतु एक नोडल अधिकारी अभिज्ञात करेंगे जो कि जिले में स्थापित क्रियान्वयन का अंग नहीं है। इस नोडल अधिकारी का नाम मय टेलिफोन नम्बर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी केन्द्रों पर एवं प्रमुख स्थान जैसे पंचायत भवन, सरकारी भवनों इत्यादि पर प्रदर्शित किये जाने चाहियें।


(शुभ्रा सिंह)

शासन सचिव (प.क.) एवं
मिशन निदेशक (रा0ग्रा0स्वा0मिशन)